

# FORM NO. 3

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

बाबू जहीरुद्दीन

ओमप्रकाश वगैरह

केरम प्रकरण : रा.प्रा.पत्र

मुकदमा नं.-

05/15

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिपिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
05.01.15	<p>प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया है। प्रार्थना पत्र का दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 25.02.2015 को पेश हो।</p> <p>4</p> <p>जकार/पक्षकारान क अधिवक्ता 25/2/15 निवासी प्रार्थीगण की विधि में/अवकाश पत्रावली पर पेश की है, इसलिए प्रकृष्ट नके समक्ष दिनांक 21/5/15 को पेश करेंगे</p> <p>जकार/पक्षकारान क अधिवक्ता 24/4/15 निवासी प्रार्थीगण की विधि में/अवकाश पत्रावली पर पेश की है, इसलिए प्रकृष्ट नके समक्ष दिनांक 21/6/15 को पेश करेंगे</p> <p>जकार/पक्षकारान क अधिवक्ता 21/6/15 निवासी प्रार्थीगण की विधि में/अवकाश पत्रावली पर पेश की है, इसलिए प्रकृष्ट नके समक्ष दिनांक 15/9/15 को पेश करेंगे</p> <p>15/9/15. वकील वारी उपा. अप्रार्थीगणों की सपठित तामील के इन्तगाल में दिनांक 18/11/15 को पेश हो 4</p> <p>जकार/पक्षकारान क अधिवक्ता 18/11/15 निवासी प्रार्थीगण की विधि में/अवकाश पत्रावली पर पेश की है, इसलिए प्रकृष्ट नके समक्ष दिनांक 12/2/16 को पेश करेंगे</p>	

**FORM NO. 3**  
**फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट)**  
**(नियम 28)**

किस्म..... बनाम.....  
 संख्या..... वर्ष.....

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

आदेश की  
 अनुपालना का  
 संक्षिप्त नोट

पक्षकार/पक्षकारान के अभिवक्ता

16.10.17

पीठासीन अधिकारी को मिति में भ्रमण  
 अवकाश पर मने हुए है, इसलिए प्रकरण  
 उनके समाप्त दिनांक 16.12.18 को  
 प्रस्तुत करें।

दाए

16<sup>2</sup>/<sub>13</sub>

ककुल जागी उपा वकील जागी को विहित  
 ही जाती है कि आगामी तारीख पेची  
 लक आवकक रूपसे नोटिस तलखाना पेश  
 करें। तलकी हेतु अनितम अपसर उदान  
 दिना जाता है पत्रावली दि. 26-2-18 को पेश हो

16<sup>2</sup>/<sub>16</sub>

पत्रावली पेश हुई। भ्रमण दिव के तद्विल  
 हेतु नोटिस तलखाना पेश करने के लिए  
 वकील जागी व जागीगिब को कोर्ट-2 आवक  
 लजायी गयी। आवकके लगाने के आवकके  
 भी वकील जागी व जागीगिब उपस्थित  
 नहीं आये। तलकी के लिए वकील  
 जागी व जागीगिब को तीन वषिका  
 समय दिया जा चुका है इतना समय  
 देने के उपरान्त भी नोटिस तलखाना  
 पेश नहीं किया है। इसलिए पत्रावली

तारीख

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

कै कदम हाजरी व अदम पेशकी में  
शुवाशीन किया जाता है पत्रावली  
नम्बर से कम लेकल प्रकृत  
प्राम्बिल हो

  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल, जिला नागौर